पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड
(पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, भारत सरकार का उद्यम)
POWERGRID MEERUT SIMBHAVALI TRANSMISSION LIMITED
(A wholly owned subsidiary of Power Grid Corporation of India Limited, A Government of India Enterprise)
कार्यालय : प्लॉट नं0 1, पॉकेट–एन, गंगानगर, मेरठ–250001 (उ0 प्र0) / Office : Plot No. 1, Pocket-N, Ganga Nagar, Meerut-250001 (UP). Ph. : 0121-7962557
CIN :U40106DL2019GOI351476

संदर्भ: पी.एम.एस.टी.एल/आर.टी.आई./2022 /1738 दिनांक :25.05.2022

सेवा में,

श्री धर्मेन्द्र सिंह
सी ओ ऑफिस के बराबर में, तहसील- गढ़मुक्तेश्वर
जिला - हापुड़ (उ०प्र०)

विषय : जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन आपके अपील पत्र दिनाँक 13.04.2022 (स्पीड पोस्ट दिनांक 13.05.2022 के संदर्भ में ।

महोदय,

आपके अपील पत्र दिनांक 13.04.2022 (स्पीड पोस्ट 13.05.2022) जो कि प्रथम अपील प्राधिकारी के कार्यालय में दिनांक 19.05.2022 को प्राप्त हुआ । अपील पत्र के माध्यम से आपने अपने आर. टी. आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 14.03.2022 जो कि पोस्टल ऑर्डर न. 56F 937234 के साथ भेजा है, के अनुसार बिंदुवार जानकारी चाही है । इस अनुसार प्रथम अपील प्राधिकारी के दिशानिर्देशानुसार बिंदुवार जानकारी निम्न है:

बिंदु न.	बिंदु द्वारा मांगी गई जानकारी	PMSTL द्वारा दी गई जानकारी
1	**यह की मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन 400 के०वी० लाइन निर्माण हेतु टावर लगाने में कितने पेड़ जैसे आम, नीम, शीशम, सागौन, खैर आदि प्रतिबंधित पेड़ (कटाव हेतु) आये जिन्हें काटने की परमिशन वन विभाग से ली गयी उनके स्वामी कृषक का नाम व् खसरा नंबर बताने का कष्ट करें।**	उक्त लाइन में टावर निर्माण हेतु प्रतिबंधित पेड़ जैसे आम, नीम, शीशम, सागौन, खैर आदि जिन्हें काटने की परमिशन वन विभाग द्वारा ली गयी है उनका स्वामित्व वन विभाग के पास ही है। तथा उन वृक्षों को वन विभाग द्वारा ही काटा जायेगा। इन पेड़ों की कुल संख्या 170 है।
2	**यह की वर्तमान में कितने प्रतिबंधित पेड़ लाइन के नीचे व् ROW के अंतर्गत आते हैं जिन्हें काटने हेतु**	ROW के अंतर्गत आने वाले प्रतिबंधित पेड़ जिन्हें काटने हेतु परमिशन का आवेदन हमारे

	परमिशन का आवेदन आपके द्वारा किया गया है उनके स्वामी के नाम व् खसरा नंबर और संख्या बताने का कष्ट करें।	द्वारा किया गया है का स्वामित्व वन विभाग के पास ही है तथा इसकी जानकारी भी उन्ही के पास है। हमारे आग्रह पर वन विभाग द्वारा इसकी सूचि तैयार की गयी है। इन पेड़ों की कुल संख्या 170 है।
3	यह की कितने पेड़ पॉप्लर यूकेलिप्टस बकायन आदि अप्रतिबंधित पेड़ जो लाइन निर्माण हेतु टावर लगाने में काट चुके हैं या अब ROW में खड़े हैं उनके स्वामी का नाम , संख्या और खसरा नंबर और संख्या बताने का कष्ट करें।	लाइन के ROW में आने वाले अप्रतिबंधित पेड़ों की सूचि विस्तृत है। इन पेड़ों की कुल संख्या लगभग 3100 है। सभी पेड़ों को पूर्ण रूप से काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। काटे जाने वाले पेड़ों का आंकलन किया जा रहा है। लेकिन मांगी गई निजि जानकारी आर. टी. आई. अधिनियम के नियम 8(1) (g) and (j) के तहत नही दे सकते ।
4	यह की अप्रतिबंधित पेड़ काटने हेतु जो परमिशन वन विभाग से ली गयी है उसकी प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।	अप्रतिबंधित पेड़ काटने की कोई परमिशन वन विभाग द्वारा नहीं ली जाती है । उक्त पेड़ किसान द्वारा कटवा लिए जाते हैं। हमारी जानकारी में अप्रतिबंधित पेड़ों को काटने के लिए किसान को कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है।
5	यह की लाइन निर्माण हेतु वृक्षों को काटने के लिए कृषकों को देय मुआवजे की सूचि किस आधार पर बनायीं जाती है सूचि का प्रारूप आधार (बनाने का) प्रदान करने का कष्ट करें।	लाइन निर्माण हेतु वृक्षों को काटने के लिए कृषकों को देय मुआवजे की सूचि वन विभाग से ली गयी अनुसूचित दरों के आधार पर बनायीं जाती है।
6	यह की यदि कृषक को भूमि में खड़े प्रतिबंधित पेड़ अपने बिना किसी परमिशन के कटवाकर टावर और लाइन का निर्माण किया है तो विद्युत अधिनियम या शासन द्वारा आपको ऐसा करने की जो शक्ति प्राप्त है उस शक्ति पत्र / आदेश की प्रति प्रदान करने का कष्ट करें।	हमारे द्वारा कृषक की भूमि पर खड़े किसी प्रतिबंधित पेड़ को नहीं काटा गया है ।
7	यह की वर्तमान जो प्रतिबंधित पेड़ ROW के अंतर्गत खड़े हैं उन्हें विद्युत प्रवाह होने से पर्व कटवाया जायेगा।	जो प्रतिबंधित पेड़ ROW के अंतर्गत खड़े हैं उन्हें विद्युत प्रवाह होने से पर्व आवश्यकतानुसार इसके आंकलन के पश्चात कटवाया जायेगा ।

8	**यह की वर्तमान में जो प्रतिबंधित पेड़ ROW के अंतर्गत खड़े हैं उन्हें बिना कटवाए विद्युत प्रवाह कर किसानों के जीवन से खिलवाड़ किया जायेगा।**	विद्युत प्रवाह सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करके ही किया जायेगा।

धन्यवाद|

भवदीय

[ए.अहमद]

सी. ई. ओ. एवं पदनामित सी. पी.आई. ओ

पी. एम.एस.टी.एल, मेरठ